सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 28.08.2024 को विभागीय पदाधिकारियों/क्षेत्रीय अभियंताओं के साथ "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना एवं राजकीय नलकूप की स्थिति की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही ।

सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक–28.08.2024 को ज्ञान भवन, पटना में विभागीय पदाधिकारियों/क्षेत्रीय अभियंताओं के साथ "हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना एवं राजकीय नलकूप की स्थिति, एवं निविदा प्रक्रिया की समीक्षा की गई जिसमें विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, सभी मुख्य अभियंता, सभी अधीक्षण अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय, अनुश्रवण एवं सभी कार्यपालक अभियंता, इत्यादि ने भाग लिया। योजनावार समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निर्देश दिये गये–

1. **"हर खेत तक सिंचाई का पानी" (सतही सिंचाई योजना) –**

1.1 सर्वप्रथम विभिन्न प्रमंडलों द्वारा इस योजना अन्तर्गत विगत दो माह में अब तक लगभग 2000 योजनाओं का डीपीआर तैयार किया गया है इसके लिए सभी क्षेत्रीय अभियंताओं को बधाई दी गई। तैयार डी0पी0आर0 में योजनाओं की TAC से सहमति भी प्राप्त हो चुंकी है। 33 योजनाओं का डीपीआर तैयार होना शेष है । इसमें 13 योजनायें जमुई, 04 गया, 12 मधुबनी, 02 लखीसराय एवं 02 बेतिया का डीपीआर तैयार करना शेष है। शेष डीपीआर तैयार कर जल्द से जल्द TAC से सहमति हेतु उपलब्ध करा दी जाय। जिन योजनाओं का डीपीआर तैयार कराना सम्भव होने योग्य न हो उनका स्थलीय जांच कर अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराये एवं उनके कमांड एरिया को कवर करने के लिए इसके बदले मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत योजना का प्रावधान किया जाय।

1.2 कार्यपालक अभियंता, बांका द्वारा 317 कार्यान्वयन योग्य योजना के लक्ष्य के आलोक में शतप्रतिशत डीपीआर तैयार कराया गया है एवं उनमें अभीतक 305 योजनाओं पर TAC से सहमति प्राप्त हो चुंकी है जिस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई । शेष 12 योजनाओं में 09 योजनायें अधीक्षण अभियंता स्तर पर एवं 03 योजनायें कार्यपालक अभियंता स्तर पर लम्बित है जिसे डीपीआर में सुधार कर शीघ्र TAC को उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

1.3 कार्यपालक अभियंता जमुई द्वारा 394 कार्यान्वयन योग्य योजना के लक्ष्य के आलोक में 381 डीपीआर तैयार कराया गया है एवं उनमें अभीतक 378 योजनाओं पर TAC से सहमति प्राप्त हो चुंकी है जिस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। शेष 03 योजना कार्यपालक अभियंता स्तर पर लम्बित है जिसे जल्द डीपीआर में सुधार कर TAC से सहमति प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया ।

1.4 कार्यपालक अभियंता, गया द्वारा 461 कार्यान्वयन योग्य योजना के लक्ष्य के आलोक में 457 डीपीआर तैयार कर उपलब्ध कराया गया है एवं उनमें अभीतक 450 योजनाओं पर TAC से सहमति प्राप्त हो चुंकी है जिस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। शेष 07 योजना TAC स्तर पर लम्बित है जिसे जल्द बैठक कर TAC से सहमति प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया ।

1.5 कार्यपालक अभियंता, औरंगाबाद, भागलपुर, कैमूर, नवादा, शेखपुरा, मुंगेर, नालंदा, पटना, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद, दरभंगा, मोतिहारी, सारण, अरवल एवं बक्सर द्वारा कार्यान्वयन योग्य योजना के लक्ष्य के आलोक में शतप्रतिशत डीपीआर तैयार कराया गया है जिस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। उक्त जिलों की कुछ योजनायें कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं TAC स्तर पर लम्बित है जिसे जल्द TAC से सहमति प्राप्त कर प्रशासनिक स्वीकृति के लिए उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया ।

1.6 कार्यपालक अभियंता, मधुबनी द्वारा 59 कार्यान्वयन योग्य योजना के लक्ष्य के आलोक में 47 डीपीआर तैयार कराया गया है एवं उनमें अभीतक 27 योजनाओं पर TAC से सहमति प्राप्त हो चुंकी है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि शेष 12 योजनाओं पर कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। शेष 20 योजना TAC स्तर पर लम्बित है जिसे जल्द बैठक कर TAC से सहमति प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया।

1.7 कार्यपालक अभियंता, लखीसराय द्वारा 55 कार्यान्वयन योग्य योजना के लक्ष्य के आलोक में 53 डीपीआर तैयार कराया गया है एवं उनमें अभीतक 49 योजनाओं पर TAC से सहमति प्राप्त हो चुंकी है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि शेष 02 योजनाओं पर कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। शेष 04 योजना TAC स्तर पर लम्बित है जिसे जल्द बैठक कर TAC से सहमति प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया।

1.8 कार्यपालक अभियंता, बेतिया द्वारा 13 कार्यान्वयन योग्य योजना के लक्ष्य के आलोक में 11 डीपीआर तैयार कराया गया है एवं उनमें अभीतक 09 योजनाओं पर TAC से सहमति प्राप्त हो चुंकी है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि शेष 02 योजनाओं पर कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। शेष 02 योजना अधीक्षण अभियंता स्तर पर लम्बित है जिसे जल्द बैठक कर TAC से सहमति प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया।

2. प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संचिका के लिए योजनाओं की तकनीकी आवश्यकता पूर्ण करती हो, इसके लिए एक चेक लिस्ट तैयार कर लें।

3. प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संचिकाओं के संपादन हेतु विभागीय स्तर पर टीम का गठन किया गया है। निदेश दिया गया है कि सभी तकनीकी, प्रशासनिक पदाधिकारी एवं टीम में नियुक्त अन्य सदस्य को संचिका का संधारणकर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संचिका को जल्द से जल्द उपस्थापित किया जाय।

4. जल–जीवन–हरियाली एवं हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना अन्तर्गत पूर्व की सतही योजनाओं की liability/देयता का आंकलन कर प्रतिवेदन सभी कार्यपालक अभियंता बैठक पश्चात् अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय अनुश्रवण को उपलब्ध कराना निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे ।
5. सभी क्रियान्वित योजनाओं में कार्य की प्रगति समय–समय पर प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित विभागीय पोर्टल अद्यतन कर विभाग को प्रतिवेदित किया जाय, साथ ही संवेदक से भी निश्चित अंतराल में कार्य की प्रगति का भौतिक प्रगति लिखित रूप में मांग की जाय एवं संवेदक द्वारा विभागीय पोर्टल पर प्रगति प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित अपलोड किया जाय। योजनाओं से संबंधित कनीय अभियंता द्वारा भी समय समय पर मापी–पुस्त संधारित करे।
6. माननीय मंत्री द्वारा शिकायत की गई कि गया जिले के वाजितपुर प्रखंड में योजना में कार्य की आवश्यकता को नहीं बताया गया है। जबकि निविदा हो कर कार्य आरंभ हो चुंका है। इस पर खेद व्यक्त किया गया। संबंधित मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता को जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने एवं संबंधित अभियंताओं की जिम्मेदारी तय करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
7. सभी मुख्य अभियंता, सभी अधीक्षण अभियंता एवं सभी कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि पूर्व से क्रियान्वित हो रही वित्तीय वर्ष 2021–22, वर्ष 2022–23, वर्ष 2023–24 की सभी योजनाओं को 31 अक्टूबर 2024 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाए। ताकि सिंचाई क्षमता सृजन कर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
8. वित्तीय वर्ष 2021–22, वर्ष 2022–23, वर्ष 2023–24 की जिन योजनाओं की निविदा प्रक्रिया लम्बित है संबंधित अधीक्षण अभियंता उन निविदा का निष्पादन 15 सितम्बर 2024 तक निश्चित रूप से पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। किसी भी निविदा में परिवाद के निष्पादन हेतु अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय अनुश्रवण प्रत्येक सप्ताह विभागीय निविदा कमिटी की बैठक आयोजित कराना सुनिश्चित करेंगे।

9. मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना

9.1 सर्वेक्षित स्थलों पर जिन किसानों ने सहमति देने के उपरांत LPC समर्पित कर दिया है, उन सभी कृषकों के आवेदन की स्वीकृति अविलंब की जाए।

9.2 जिन जिलों में कृषकों से प्राप्त नए घोषणा पत्र एवं प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा अनुत्तरदायी किसानों को Registered Post द्वारा भेजी गई सूचना कुल सहमति देने वाले आवेदकों के 50 प्रतिशत से अधिक है, उन सभी जिलों के कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से अंतिम रूप से संतुश्ट होकर ही पोर्टल पर आवेदन रद्ध करेंगे।

9.3 जिन जिलों में सर्वेक्षित स्थलो का निरीक्षण शेष है, वो शनिवार तक सारे सर्वेक्षित स्थलो का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।

10. <u>राजकीय नलकूप योजना</u>–

10.1 जिन जिलों से वाह्य विद्युतीकरण हेतु विहित प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है, वे अविलंब संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10.2 वित्तीय वर्ष 2024–25 में गैर–योजना मद में कुल–131 नलकूपों पर राशि आंवटित की गई है। जिनमें से मात्र 42 नलकूप ही चालू किए गए है। शेष नलकूपों को शीघ्र चालू करने का निदेश दिया गया।

11. **निगरानी से संबंधित मामले** – बैठक में निगरानी विषयक मामलों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई मामलों का निष्पादन क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण ही लंबित है। समीक्षा में पाया गया कि कुल 10 मामलों में मुख्य अभियंता, यो०+अनु०+भू०, लघु जल संसाधन विभाग पटना के कार्यालय से प्रतिवेदन अप्राप्त है, जबकि मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर के कार्यालय से 05 प्रतिवेदन अप्राप्त है। अन्य 13 कार्यालयों से कुल 17 प्रतिवेदन अप्राप्त है । सभी संबंधित कार्यालयों को लम्बित मामलों की सूची उपलब्ध कराते हुए निदेशित किया गया कि निगरानी विषयक मामलों में वांछित प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय।

12. **अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय**– बैठक में विभागाधीन प्रमंडलों में असमायोजित अग्रिम/अग्रदाय की समीक्षा के क्रम में सभी प्रमंडलों को प्राथमिकत्ता के आधार पर इनके शीघ्रातिशीघ्र समायोजन कर निदेश दिया गया। लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत लंबित गबन/हानि/दुर्विनियोजन से संबंधि तमामले में दोषियों को शीघ्र चिन्हित करने एवं अन्य नियमानुकूल कार्रवाई किये जाने का निदेश संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता को दिया गया।

13. **जनशिकायत** – बैठक में जनशिकायत के लंबित मामलों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 2311 मामलों में 1090 मामले प्रक्रियाधीन है, जिसके संबंध में बैठक में उपस्थित सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को उक्त मामलों की सूची उपलब्ध कराते हुए अतिशीघ्र निष्पान हेतु निदेशित किया गया।

14. बैठक में माननीय न्यायालय में लंबित अपीलवाद/अवमानवाद/समादेशवाद की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल–12 वाद लंबित है, जिसमें 02 अपीलवाद (SLP) 01 अवमाननावाद एवं 09 समादेशवाद है।

सभी संबंधित कार्यालयों को उक्त लंबित मामलों की सूची एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से अप्राप्त 08 वांछित प्रतिवेदन/सूचना की सूची उपलब्ध कराते हुए त्वरित निष्पादन हेतु निदेशित किया गया।

सधन्यवाद के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

दयानिधान पांडेय,
सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक सं0–ल0सिं0मो0–बैठक–51/16 (पार्ट–03)– 1226 (मो0) पटना, दिनांक– 05.9.2024

प्रतिलिपिः– प्रबन्ध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0/प्रबन्ध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियन्ता (योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ)/अधीक्षण अभियन्ता, (योजना+स्थापना)/अधीक्षण अभियन्ता, (प्रभारी) नलकूप कोषांग/अधीक्षण अभियंता (मु0), रूपांकण, अन्वेषण, गुण नियंत्रण/अधीक्षण अभियंता (मु0) उड़नदस्ता/आई0टी0 मैनेजर/सभी अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल/सभी कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/9/24

(माधव कुमार पंडित)
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक सं0–ल0सिं0मो0–बैठक–51/16 (पार्ट–03)– 1226 (मो0) पटना, दिनांक– 05.9.2024

प्रतिलिपिः– विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

5/9/24

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक सं0–ल0सिं0मो0–बैठक–51/16 (पार्ट–03)– 1226 (मो0) पटना, दिनांक– 05.9.2024

प्रतिलिपिः– सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

5/9/24

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक सं0–ल0सिं0मो0–बैठक–51/16 (पार्ट–03)– 1226 (मो0) पटना, दिनांक– 05.9.2024

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/9/24

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।